रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1997/आषाढ़ 3, 1919

No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1997/ASADHA 3, 1919

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 1997

सं. एम. सी. आई.-34(41)/93-मेड(एन).—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नये आयुर्विज्ञान कालेज की स्थापना अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम का आरंभ और आयुर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

(1) ये विनियम नये आयुर्विज्ञान कालेजों की स्थापना,अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरंभ और आयुर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि (संशोधन) विनियम, 1997 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नये आयुर्विज्ञान कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरंभ और आयुर्विज्ञान कालेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 की योजना में :—

(क) "नया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन शुल्क" शीर्षक के अन्तर्गत आवेदन शुल्क "उप शीर्षक के अन्तर्गत" 2 लाख रुपये का आवेदन शुल्क अंकों और शब्दों के स्थान पर "तीन लाख पचास हजार रुपये का आवेदन शुल्क" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "आवेदन शुल्क" आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्चतर विशेषताओं सहित) प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमति शीर्षक के अन्तर्गत किसी "आवेदन/योजना प्रस्तुत करना तथा आवेदन शुल्क" उप शीर्षक के अन्तर्गत "एक लाख रुपये" अंकों और शब्दों के स्थान पर "दो लाख रुपये" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ग) "मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेजों/संस्थानों में एम.बी.बी.एस./उच्चतर पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/उच्चतर विशेषज्ञताओं सहित) की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन" शीर्षक के अन्तर्गत "आवेदन/योजना प्रस्तुत करना और आवेदन

शुल्क'' नामक उप-शीर्षक के अन्तर्गत ''एक लाख रुपये'' अंक और शब्दों के स्थान पर ''दो लाख रुपये'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डा. (श्रीमती) एम. सचदेवा, सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल विनियम भारत के राजपत्र के भाग-3, खण्ड-4 में संख्या 34(41) 93-मेड(एन) दिनांक 20 सितम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 1997

No. MCI-34(41)/93-Med. (N).—In exercise of the powers conferred by section 10A, read with section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medial Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Establishment of new medical colleges, and opening of higher courses of study and increase of admission capacity in medical colleges Regulations, 1993, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Establishment of New Medical Colleges, Opening of Higher Courses of study and Increase of Admission Capacity in Medical Colleges (Amendment) Regulations, 1997.

(2) This shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Establishment of new Medical Colleges, opening of Higher Courses of Study and increase of admission capacity in medical colleges Regulations, 1993, in the Scheme,—

(a) under the heading "APPLICATION FEE FOR PERMISSION TO THE CENTRAL GOVERNMENT TO ESTABLISH A NEW MEDICAL COLLEGE", under the sub-heading "Application fee" for the words and letters "application fee of Rs. two lakhs" the words and letters "application fee of three lakh and fifty thousand rupees" shall be substituted;

(b) under the heading "APPLICATION FEE" PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR STARTING NEW OR HIGHER COURSES (INCLUDING PG DEGREE/DIPLOMA AND HIGHER SPECIALITIES) IN A MEDICAL COLLEGE/INSTITUTION under the sub-head "SUBMISSION OF APPLICATION/ SCHEME AND APPLICATION FEE" for the letters and words "Rs. One lakh", the words and letters "two lakh rupees" shall be substituted;

(c) under the heading "APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN M.B.B.S./HIGHER COURSES (INCLUDING DIPLOMA/ DEGREE/HIGHER SPECIALITIES) IN THE EXISTING MEDICAL COLLEGES/INSTITUTION", under sub-heading titled, "SUBMISSION OF APPLICATION/SCHEME/APPLICATION FEE" for the letters and words "Rs. One lakh" the words and letters "two lakhs rupees" shall be substituted.

DR. (MRS.) M. SACHDEVA, Secy.

Footnote :—The principal regulation were published in the Part III, Section 4 of the Gazette of India vide No. 34(41)/93 Med. (N) dated 20th December, 1993.